राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 820/2024

संतोष कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
4. जिला कलक्टर, जिला गंगापुरसिटी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर दिनांक 20.06.1990 के द्वारा तहसील सीटा केकड़ी, जिला अजमेर में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर तलावड़ा, जिला गंगापुरसिटी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.03.2022 (अनुलग्नक—2) के द्वारा तहसीलदार के रिक्त पद पर कार्यव्यवस्र्थाथ लगाने के लिए स्क्रेनिंग कमेटी का गठन किया गया। स्क्रेनिंग कमेटी के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 31.12.2021 को तहसीलदार के पद पर कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.06.2022 (अनुलग्नक—3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय, रामगढ़, पचवाड़ा, जिला दौसा से कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार तलावड़ा जिला सवाई माधोपुर में कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसीलदार तलावड़ा, जिला गंगापुरसिटी

से तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 600 कि.मी. दूर टीएसपी/प्रतिबंधित जिले में किया गया है। अपीलार्थी की जन्मतिथि 01.07.1965 है एवं सेवानिवृति तिथि 31.07.2025 है। अपीलार्थी की सेवानिवृति से 2 वर्ष से भी कम समय है, ऐसे में यदि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाता है तो विभाग के स्थानान्तरण नीति के अनुसार कर्मचारी का स्थानान्तरण 2 साल से कम समय में कार्यरत होने पर नहीं किया जावे, का उल्लंघन करते हुए किया गया है, जो विधि–विरूद्ध एवं मनमाना है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.03.2024 को केवियट प्रस्तुत की गई।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर दिनांक 20.06.1990 के द्वारा तहसील सीटा केकड़ी, जिला अजमेर में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर तलावड़ा, जिला गंगापुरसिटी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय

कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

6. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 600 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

इस प्रकार आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य